

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, जुलाई 31—अगस्त 6, 2005, शनिवार/श्रावण 9—श्रावण 15, 1927
No. 32] NEW DELHI, JULY 31—AUGUST 6, 2005, SATURDAY/SRAVANA 9—SRAVANA 15, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 258.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में कतिपय समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् निदेशक और उप सचिव समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहंता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक	1* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसचिवीय	14300-400 18300 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने के लिए आयु-सीमा	वाले व्यक्तियों	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
7		8	9	10	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	सीधे होगी या प्रोन्नति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
11		12			
प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है	प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्तशासी या कानूनी निकायों या अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारियों से जो,— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 12000-375-16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और (ख) (i) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य हो, (ii) प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव हो।				

12

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है, पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14.

लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है, पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय और इन भर्ती नियमों के किन्हीं उपबंधों के संशोधन/शिथिलीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1

2

3

4

5

6

2. उप सचिव

1* (2005)
*कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है।

साधारण केन्द्रीय
सेवा, समूह "क",
राजपत्रित,
अनुसचिवीय

12000-375
16500 रु.

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

7

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

11

12

प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है

प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्तशासी या कानूनी निकायों या अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारियों से जो,—

- क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 10000-325-15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और

- (ख) (i) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य हो,
(ii) प्रशासन में दस वर्ष का अनुभव हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है, पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

लागू नहीं होता

14

प्रतिनियुक्ति, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है, पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय और इन भर्ती नियमों के किन्हीं उपबंधों के संशोधन/शिथिलीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-35020/2/2004-पी एम ए]

पी. के. राय, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 1st August, 2005

G.S.R. 258.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A' posts in the National Advisory Council, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Advisory Council Director and Deputy Secretary Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Director	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Rs. 14300-400 18300	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

11	12
Deputation including short term contract	Deputation including short term contract : Officers under the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies or Research Institutions : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) (i) possessing Degree of a recognised University or equivalent. (ii) twelve years' experience in administration. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Commission necessary while appointing an officer on deputation including short term contract and for amendment/relaxation of any provision of these rules.

1	2	3	4	5	6
2. Deputy Secretary	1*(2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Rs. 12000-375-16500.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
11	12		
Deputation including short term contract.	Deputation including short term contract : Officers under the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies or Research Institutions : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) (i) possessing Degree of a recognised University or equivalent. (ii) ten years' experience in administration. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)		
	13	14	
	Not applicable	Consultation with Union Public Commission necessary while appointing an officer on deputation including short term contract and for amendment/relaxation of any provision of these rules.	
		[F. No. A-35020/2/2004-PMA] P. K. Roy, Under Secy.	

गृह मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 259.—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 17 जनवरी, 2004 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 13, तारीख 13 जनवरी, 2004 में पृष्ठ 41 पर, स्तंभ 1 में, हिंदी पाठ में, पंक्ति 9 और पंक्ति 16 में "2003" के स्थान पर "2004" पढ़ें।

[फा. सं. यू-14012/2/2004-ए एन एल]

एंद्री अनुराग, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th July, 2005

G.S.R. 259.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs Number G.S.R. 13, dated the 13th January, 2004, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th January, 2004, at page 42, in column I, in the English version, in lines 10 and 18, for "2003" read "2004".

[F. No. U-14012/2/2004-ANL]

AINDRI ANURAG, Director

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 260.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय सहायक महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2005 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—इस पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. सहायक महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन)	1*(2005) कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	12000-375 16500 रुपए	चयन पद	50 वर्ष से अनधिक। टिप्पणी 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय। टिप्पणी : असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्पा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर आयु के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	--	---	-------------------------------

7	8	9	10
नहीं	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक नृविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष। (ii) सामुदायिक अध्ययन में विशिष्ट संदर्भ सहित समाजशास्त्र अथवा सामाजिक नृविज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण और अनुसंधान में भागीदारी और मार्गदर्शन का दस वर्ष का अनुभव (साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए) टिप्पणी 1 : आवेदक के अन्यथा सुअर्ह होने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि अ. जा. अथवा अ. ज. जा. के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के आवेदन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो संघ लोक सेवा आयोग विवेकानुसार ऐसे आवेदकों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक नृविज्ञान में डाक्टरेट की डिग्री अथवा समकक्ष।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा।
--	--

11	12
संयुक्त पद्धति से (प्रतिनियुक्ति एवं प्रोन्नति) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति एवं प्रोन्नति) : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 10000-15200 रुपए या समकक्ष वेतनमान में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; या (ख) जो कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। 2. बाह्य आवेदकों के साथ-साथ ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक नृविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री धारक अथवा समकक्ष विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) भी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। यदि ऐसे व्यक्तियों का पद पर नियुक्ति के लिय चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

(फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे)।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना

भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार के लिए) :—

1. भारत के महारजिस्ट्रार — अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय — सदस्य

पद पर नियुक्ति करने के लिए और इन भर्ती नियमों के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने अथवा छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-16011/1/2004-प्रशा-2]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 29th July, 2005

G.S.R. 260.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Registrar General (Social Studies) in the Office of the Registrar General, India, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India Assistant Registrar General (Social Studies) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Assistant Registrar General (Social Studies).	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12,000-375-16,500	Selection	Not exceeding 50 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chammba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		Period of probation, if any
7	8		9		10
No.	Essential : (i) Master's Degree in Sociology or Social Anthropology from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years' experience in participation and guidance of investigation and research in the field of Sociology or Social Anthropology with special reference to community studies (Evidence to be furnished). Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service		Age : No. Educational qualifications : Yes		One year for direct recruits

Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable : Doctorate degree in Sociology or Social Anthropology from a recognised University or equivalent.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

11

12

Composite method (Deputation plus promotion) failing which by direct recruitment

Composite method (Deputation plus promotion) :

1. Officers under the Central Government or State Governments :—
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

2. The departmental Senior Research Officer (Social Studies) with five years' regular service in the grade and possessing Master's degree in Sociology or Social Anthropology from a recognised university or equivalent, shall also be considered alongwith outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

1. Registrar General, India
2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs

—Chairman
—Member

Consultation with Union Public Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules.

[F. No. A-16011/1/2004-Ad. II]

D. S. SAINI, Under Secy.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय)

शिलांग, 21 जुलाई, 2005

सा.का. नि. 261.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय शिलांग, निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और सहायक इंजीनीयर (सिविल) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998, जहां तक वे निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के पद के संबंध में हैं, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय शिलांग, निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से स्तंभ 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों की भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा और अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. **निरर्हता.**—जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों ; या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर-प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	1* (2005) *(कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	12,000-375-16500 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं	लागू नहीं	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती प्रणाली :—सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

यदि भर्ती, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

11
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) :—
सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या
पुनर्नियोजन

12
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) :—

1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो :

(क) (1) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों या

(2) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु० 10000-15200 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(3) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु० 8000-13500 के वेतनमान के पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से भौतिक विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान या भूभौतिकी या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री।

(2) अनुसंधान और विकास के संबंध में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजना की आयोजना, तैयारी और पर्यवेक्षण से संबंधित होना चाहिए।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के लेफ्टिनेंट कर्नल या उच्चतर स्तर के कार्मिक जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हों और जो प्रतिनियुक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, उन पर भी विचार किया जाएगा। चयन हो जाने पर ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दी जाएगी जिस तारीख से वे सशस्त्र बल से कार्यमुक्त होने वाले हों। उसके बाद पुनर्नियोजन आधार पर उनकी सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हों या रिजर्व के लिए स्थानांतरित हो गए हों तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी (सिविल) पद के संदर्भ में अधिवार्षिता की तारीख तक पुनर्नियोजन)

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है

जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कर्मिकों के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय —सदस्य

पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा० सं. एन ई सी/ए डी एम/10/2003/खंड-II]

राजीव माथुर, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat)

Shillong, the 21st July, 2005

G.S.R. 261.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong Director (Science and Technology) and Assistant Engineer (Civil) Recruitment (Amendment) Rules, 1998, in so far as they relate to the post of Director (Science and Technology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Science and Technology) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Director (Science and Technology) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and ex-servicemen in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6
Director (Science and Technology)	1* (2005) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 12000-375-16500	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for re-employed Armed Forces Personnel.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods			
11	12		
Deputation (including short-term contract). For Armed Forces Personnel : Deputation or re-employment.	Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10000—15200 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000—13500 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience; (i) Master's Degree in Physics or Geology or Geophysics or Chemistry or Botany or Bachelors Degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years' experience on Research and Development out of which three years' experience should be to planning formulation and supervision of project in the field of Science and Technology. For Armed Forces Personnel : Deputation or re-employment. The Armed Forces Personnel of the rank of Lieutenant Colonel or above who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts). [Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4(four) years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee considering/confirmation of Armed Forces Personnel re-employed.

- (1) Secretary, North Eastern Council Secretariat
(2) Joint Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region.

—Chairman

—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules.

[F.No. NEC/ADM/10/2003 Vol. II]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.

शिलांग, 21 जुलाई, 2005

सा. का. नि. 262.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोक्त परिषद् सचिवालय शिलांग (वर्ग "क") भर्ती नियम, 1996, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्वारा पूर्वोक्त परिषद् सचिवालय, शिलांग में सहायक सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को पूर्वोक्त परिषद् सचिवालय, शिलांग, सहायक सचिव वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. निरर्हता.—जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र द्वारा समय-समय जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर-प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
1	2	3	4	5	6
1. सहायक सचिव	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रु. 10,000-325-15200 रु.	प्रवरण	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष
भर्ती प्रणाली : — सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		यदि भर्ती, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा। वैसा न हो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : पूर्वोत्तर परिषद ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवामय अनुभाग अधिकारी। नोट : जिन मामलों में अर्हता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि उनकी अर्हता सेवा, निर्धारित योग्यता या अर्हता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति की अर्हता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ अधिकारियों के समान उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी की हो। प्रतिनियुक्ति : 1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो : (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों, या (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 8000-13500 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500-10500 के वेतनमान के पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से किसी भी शिक्षा वर्ग में बैचलर डिग्री। (ii) प्रशासन, स्थापना और लेखा संबंधी मामलों में पांच वर्ष का अनुभव। (विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं तथा जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
13	14		
वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।		
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोग सेवा आयोग	—अध्यक्ष		
2. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय	—सदस्य		
3. पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में उपसचिव या इससे उच्च स्तर के अधिकारी	—सदस्य		

[फा. सं. एन ई सी/ए डी एम/11/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 21st July, 2005

G.S.R. 262.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'A') Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Secretary in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Assistant Secretary Group 'A' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Assistant Secretary	1* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial.	Rs. 10,000-325-15,200.	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable.		Not applicable		Two years for promotees.

Method of recruitment, whether by direct recruit or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made.

11

12

By Promotion, failing which by deputation

Promotion :

Section Officer, North Eastern Council with eight years' regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government or State Government or Union Territories: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000—13500 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing the following educational qualification and experience :

(i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University or equivalent.

(ii) Five years' experience of administration, establishment and accounts matters.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

13

*

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :

1. Chairman or Member, Union Public Service Commission
—Chairman.
2. Secretary, North Eastern Council Secretariat —Member.
3. Deputy Secretary or Above in North Eastern Council Secretariat —Member.

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. NEC/ADM/11/2003]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2005

सा. का. नि. 263.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुख्यालय, नागर विमानन विभाग, समूह 'ख' (अराजपत्रित) समूह 'ग' और समूह 'घ' पद (नागर विमानन विभाग) भर्ती नियम, 1972 को, जहाँ तक उनका संबंध पुस्तकालय और सूचना सहायक तथा पुस्तकालय लिपिक के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, मुख्यालय नागर विमानन विभाग में समूह 'ग' के कतिपय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, नागर विमानन विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन सह-ज्येष्ठता या योग्यता पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. पुस्तकालय और सूचना सहायक	2* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह "ग") अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150 8000/-रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				
	सीधी भर्ती किए जाने वाले परीक्षा की अवधि, व्यक्तियों के लिए विहित आयु यदि कोई हो और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं				
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य;		लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए : कुछ नहीं।	

7	8	9	10
	(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने
वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11	12
प्रोन्नति जिसके विफल होने पर प्रति- नियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे पुस्तकालय लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिसने 4000—6000 रु. के वेतनमान में उस पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिसने 3050-75-4590 रु. के वेतनमान में या समतुल्य पद पर तेरह वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) के अधीन विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. उप महानिदेशक या निदेशक सूचना और विनियमन	—अध्यक्ष
2. उपनिदेशक (प्रशासन)	—सदस्य
3. अवर सचिव प्रशासन (नागर विमानन मंत्रालय)	—सदस्य

1	2	3	4	5	6
2. पुस्तकालय लिपिक	04* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रीकुलेशन या समुतल्य; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र।	लागू नहीं होता	2 वर्ष		
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी आयोग चयन द्वारा विज्ञापित की जाएगी।					
11	12				
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता				
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) के अधीन विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।					
13	14				
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों) की पुष्टि के संबंध में विचार करने लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—					लागू नहीं होता।
1. उप महानिदेशक या निदेशक सूचना और विनियमन	—अध्यक्ष				
2. उपनिदेशक (प्रशासन)	—सदस्य				
3. अवर सचिव प्रशासन (नागर विमानन मंत्रालय)	—सदस्य				

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(Directorate General of Civil Aviation)

New Delhi, the 8th July, 2005

G.S.R. 263.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Head Quarters Office, Civil Aviation Department, Group 'B' (Non-Gazetted), Group 'C' and Group 'D' posts (Civil Aviation Department) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the posts of Library and Information Assistant and Library Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the Head quarters Office in the Civil Aviation Department namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Civil Aviation Department (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the persons belongs to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, the other Backward Classed and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6
1. Library and Information Assistant	2* (2005) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Essential: (i) Degree of recognized University or equivalent; (ii) A degree in Library Science from a recognized University or equivalent. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Direct recruits two years Promotees; Nil
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
11	12		
Promotion, failing which by deputation	Promotion : Library clerk with 13 years regular service in the grade. Deputation : Officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with 5 years regular service in post in the scale of Rs. 4000-6000; or (iii) with 13 years regular service in posts in the scale of Rs. 3050-75-4590 or equivalent; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8). Note 1 : The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years. Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
13	14		
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/conferment) consisting of :	Not applicable		
(1) Deputy Director General or Director of Information and Regulation concerned —Chairman			
(2) Deputy Director of Administration —Member			
(3) Under Secretary Administration (Ministry of Civil Aviation) —Member			

1	2	3	4	5	6
2. Library Clerk	4* (2005) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs.3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18—25 years. (Relaxable upto 40 years (upto 45 years in respect of Schedule Castes or the Schedule Tribes candidates), in case of Government servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Essential : (i) Matriculation or equivalent from a recognized Institution. (ii) Certificate in Library Science from a recognized Institution.	Not applicable	2 years
Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.			

(11)	(12)	(13)	(14)
Direct recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in Column (8).	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of : (1) Deputy Director General or Director of Information and Regulation concerned (2) Deputy Director of Administration (3) Under Secretary Administration (Ministry of Civil Aviation)	Not applicable —Chairman —Member —Member

[F. No. A-12018/2/2003-E-II]

CHANANRAM, Dy. Director (Administration)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2005

सा. का. नि. 264.—मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्य चयन ग्रेड) (समूह "क" राजपत्रित पद) की भर्ती नियमावली की अधिसूचना संख्या जी एस आर 732(अ) दिनांक 10 मार्च, 2003 के पैरा 1 की अंतिम पंक्ति में मुद्रित वर्ष 2002 को संशोधित कर वर्ष 2003 पढ़ा जाए।

[सं. ए-32012/1/1996-स्था. I]

एन.के. लखनपाल, अवर सचिव

2210 GI/05-4

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th July, 2005

G.S.R. 264.—The year 2002 appearing in last line in para-1 of Notification No GSR 732(E) dated 10th March, 2003 of Recruitment Rules of Chief Medical officer (NFSG) (Group 'A' Gazetted post) may be correct to read as 2003.

[F. No. A-32017/1/96-Estt. I]

N.K. LAKHANPAL, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2005

सा.का. नि. 265.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 246, तारीख 13 जुलाई, 2004, जो भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में तारीख 24 जुलाई, 2004 को प्रकाशित हुई थी, के पृष्ठ सं. 1530 से 1552 पर, अनुसूची के क्रम संख्यांक 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, और 11, के सामने, स्तंभ 5 में "अचयन" के स्थान पर "लागू नहीं होता है" पढ़ा जाए।

[सं. डी जी ई टी - ए-12018/2/2002 - टी ए-II]

एम. एस. आजाद, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th July, 2005

G.S.R. 265.—In the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour and Employment, number GSR 246, dated the 13th July, 2004, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 24th July, 2004, at pages 1530 to 1552, in the Schedule, in column 5, against serial numbers 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 and 11, for "Non-section", read "Not-applicable".

[No. DGET-A-12018/2/2002-T.A.-II]

M. S. AZAD, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 266.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय (स्टाफ कार इंड्रवर) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में सटाफ कार इंड्रवर (विशेष श्रेणी, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और सामान्य श्रेणी) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय (स्टाफ कार इंड्रवर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये 8 नवम्बर, 1996 से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उक्त अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	1* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	5000-150- 8000 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8			9			10
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता				प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
11				12		
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा				पत्र सूचना ब्यूरो मुख्यालय और उसके प्रादेशिक या शाखा कार्यालयों में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से तीन वर्ष सेवा की है		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
13					14	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—					लागू नहीं होता।	
1. अपर प्रधान सूचना अधिकारी					—अध्यक्ष	
2. अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (पत्र सूचना कार्यालय के कार्य से संबंधित)					—सदस्य	
3. सहायक प्रधान सूचना अधिकारी (प्रशासन)					—सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1)	5* (2005) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	4500-125-7000 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	नहीं
	8		9		10	
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
	11		12			
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा		पत्र सूचना ब्यूरो मुख्यालय और उसके प्रादेशिक या शाखा कार्यालयों में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से छह वर्ष सेवा की है या जिन्होंने श्रेणी 2 और सामान्य श्रेणी में संयुक्त रूप से कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा की है तथा जिन्होंने विहित मानक की व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की है।				
	13		14			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—					लागू नहीं होता।	
1. अपर प्रधान सूचना अधिकारी				—अध्यक्ष		
2. अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (पत्र सूचना कार्यालय के कार्य से संबंधित)				—सदस्य		
3. सहायक प्रधान सूचना अधिकारी (प्रशासन)				—सदस्य		
1	2	3	4	5	6	7
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2)	5* (2005) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	4000-100-6000 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	नहीं
	8		9		10	
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
	11		12			
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा		पत्र सूचना ब्यूरो मुख्यालय और उसके प्रादेशिक या शाखा कार्यालयों में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से नौ वर्ष सेवा की है तथा जिन्होंने विहित मानक की व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की है।				
	13		14			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—					लागू नहीं होता।	
1. अपर प्रधान सूचना अधिकारी				—अध्यक्ष		
2. अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (पत्र सूचना कार्यालय के कार्य से संबंधित)				—सदस्य		
3. सहायक प्रधान सूचना अधिकारी (प्रशासन)				—सदस्य		

1	2	3	4	5	6
4. स्टाफ कार डाइवर (सामान्य श्रेणी)	5* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	3050-75- 3950-80- 4590 रुपए	चयन	18—25 वर्ष— (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 :—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7	8	9	10
नहीं	आवश्यक : जिनके पास मोटर कार के चलाने के लिए कोई विधिमान्य अनुज्ञप्ति है और जिनको मोटर अभियान्तरीकी का ज्ञान है तथा दो वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव है। वांछनीय : आठवाँ स्तर उत्तीर्ण।	आयु : नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यता : हां	2 वर्ष

11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पत्र सूचना ब्यूरो मुख्यालय और उसके प्रादेशिक या शाखा कार्यालयों में सवार हरकारा या मोटर साइकिल चालकों में से ऐसे जिनकी उस श्रेणी में नियमित रूप से दो वर्ष की सेवा की है जिसके न हो सकने पर पत्र सूचना ब्यूरो मुख्यालय और उसके प्रादेशिक या शाखा कार्यालयों के समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिनकी उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है। प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से जो सदृश पद धारण किए हुए हैं तथा जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं हैं (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अपर प्रधान सूचना अधिकारी 2. अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (पत्र सूचना कार्यालय के कार्य से संबंधित) 3. सहायक प्रधान सूचना अधिकारी (प्रशासन)	लागू नहीं होता। —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

[फा. सं. 25/45/2000-प्रेस]

डी. ई. रिचर्ड्स, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 43019/54/96-स्था(घ) तारीख 15-2-2001 के निबन्धनों के अनुसार स्टाफ कार ड्राइवर्स के लिए प्रोन्नति स्कीम कार्यान्वित की जानी है जिससे कि 'विशेष श्रेणी' नामक नई श्रेणी के सृजन किए जाने के कारण और स्टाफ कार ड्राइवर्स की विभिन्न श्रेणियों में अनुपात को पुनः स्थापित करने के लिए इन नियमों को 8-11-1996 से प्रभावी बनाया जा रहा है। यदि इन नियमों को 8-11-1996 से प्रवृत्त किया जाता है तो स्टाफ कार ड्राइवर्स की विभिन्न श्रेणियों के पदधारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th August, 2005

G.S.R. 266.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Press Information Bureaus Headquarters, Regional and Branch Officers (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 2004 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers (Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) in the Press Information Bureau's Headquarters and Regional or Branch Offices, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Press Information Bureau's Headquarters and Regional and Branch Offices (Staff Car Driver) Group 'C' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force with effect from the 8th November, 1996.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the Scheduled annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, and qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 5000-150-8000.	Selection	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
100% by promotion	Promotion from amongst Staff Car Drivers (Grade I) in the Press Information Bureau Headquarters and Regional or Branch Offices having three years of regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Department Promotion Committee consisting of :	Not applicable
1. Addl. Principal Information Officer —Chairman	
2. Under Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (dealing with Press Information Bureau) —Member	
3. Asstt. Principal Information Officer (Administration) —Member	

1	2	3	4	5	6
2. Staff Car Driver (Grade-I)	(2005) 1* *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 4500-125 7000.	Selection	Not applicable
7	8			9	10
No	Not applicable			Not applicable	Not applicable

11	12				
100% by promotion	From amongst Staff Car Drivers (Grade II) in the Press Information Bureau's Headquarters and Regional or Branch Offices having six years of regular service in the grade or a combined service of fifteen years in Grade II and Ordinary Grade, put together and who have passed Trade Test of prescribed standard.				
13		14			
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :		Not applicable			
1. Addl. Principal Information Officer		—Chairman			
2. Under Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (dealing with Press Information Bureau)		—Member			
3. Asstt. Principal Information Officer (Administration)		—Member			
1	2	3	4	5	6
3. Staff Car Driver (Grade-II)	5*(2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 4000-100 6000.	Selection	Not applicable
7	8		9		10
No	Not applicable		Not applicable		Not applicable
11	12				
100% by promotion	From amongst Staff Car Drivers (Ordinary Grade) in the Press Information Bureau's Headquarters and Regional or Branch Offices with nine years of regular service in the grade and who have passed Trade Test of prescribed standard.				
13		14			
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :		Not applicable			
1. Addl. Principal Information Officer		—Chairman			
2. Under Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (dealing with Press Information Bureau)		—Member			
3. Asstt. Principal Information Officer (Administration)		—Member			

1	2	3	4	5	6
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	5*(2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Selection	18—25 years (relaxable for Govt. Servants upto the age of 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2. In case of the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.

7	8	9	10
No	Essential : Possession of a valid licence for driving Motor Cars, Knowledge of Motor Mechanism and Experience of driving Motor Car for two years. Desirable : 8th Standard Pass.	1. Age : No 2. Educational and other qualification : Yes	Two years

11	12
100% by promotion failing which by deputation, failing both direct recruitment.	Promotion from amongst the Despatch Riders or Motor Cycle Drivers of the Press Information Bureau's Headquarters and Regional or Branch Offices with two years of regular service in the grade failing which from amongst Group 'D' employees of Press Information Bureau's Headquarters and Regional or Branch Offices with five years of regular service in the grade. Deputation : Offices of the Central Government holding analogous posts and possessing the qualifications prescribed under column 8. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department shall ordinarily not exceed three years).

13	14
Group 'C' Department Promotion Committee consisting of :	Not applicable
1. Addl. Principal Information Officer —Chairman	
2. Under Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (dealing with Press Information Bureau) —Member	
3. Asstt. Principal Information Officer (Administration) —Member	

[F. No. 25/46/2000-Press]

D. E. RICHARDS, Under Secy.

Explanatory Memorandum

In terms of DoP&T's OM No. 43019/54/96-Estt. (D) dated 15-2-2001 the promotion scheme for Staff Car Drivers is to be implemented so as to grant arrears and other consequential benefits with effect from 8-11-1996 by virtue of creating a new grade to be called 'Special Grade' and to reset the ratio of Staff Car Drivers in different grades, these rules are being made effective from 8-11-1996. There is no possibility of any adverse effect on the incumbents of different grades of Staff Car Drivers, if these rules take effect from 8-11-1996.